

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2716
गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत लाभार्थी

2716. श्री भागीरथ चौधरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) देश में किसानों और ग्रामीणों के लिए बिजली की आसान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) किस तारीख को शुरू किया गया था और इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है;
- (ख) क्या पीएम-कुसुम के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पीएम-कुसुम के शुरू होने से लेकर अब तक इसके अंतर्गत कितने पात्र किसान और ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं और राजस्थान के जिलों सहित लाभार्थियों को वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि प्रदान की गई है;
- (घ) क्या पीएम-कुसुम के अंतर्गत कृषि के लिए सौर सिंचाई पंपों को लगाने से सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की हुई है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

- (क) और (ख): सरकार ने कृषि क्षेत्रों को डीजल मुक्त करने, किसानों को जल एवं विद्युत सुरक्षा प्रदान करने, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उद्देश्यों के साथ दिनांक 08.03.2019 को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) की शुरुआत की।

पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर योजना के तीन घटकों के तहत क्षमताएं आवंटित की जाती हैं।

पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत, अलग-अलग किसान या किसानों के समूह या सहकारी समिति या पंचायत या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) या जल उपभोक्ता एसोसिएशन (डब्ल्यूए) बंजर/परती/दलदली/खेती योग्य भूमि पर 2 मेगावाट तक के सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। योजना के घटक-ख और घटक-ग के तहत अलग-अलग किसान, किसानों के समूह, क्लस्टर सिंचाई प्रणालियाँ, डब्ल्यूए, एफपीओ और प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पीएसीएस) स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना कर सकते हैं या अपने मौजूदा ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण कर सकते हैं।

- (ग) राजस्थान के जिले सहित योजना के तहत लाभान्वित किसानों एवं जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
- (घ) और (ङ): राजस्थान राज्य सहित स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा कृषि पंपों के सौरीकरण के माध्यम से, सौर विद्युत क्षमता में वृद्धि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

“पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभार्थी” के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2716 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना की शुरुआत से दिनांक 30.11.2022 तक लाभान्वित किसानों के वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित किसानों की संख्या			
		2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1	गुजरात	93	366	810	1269
2	हरियाणा	8166	23798	7381	39345
3	हिमाचल प्रदेश	40	216	262	518
4	जम्मू एवं कश्मीर	0	103	359	462
5	झारखंड	381	6336	2205	8922
6	कर्नाटक	76	238	0	314
7	केरल	0	0	30	30
8	मध्य प्रदेश	7234	0	2	7236
9	महाराष्ट्र	0	2426	27436	29862
10	मणिपुर	0	28	0	28
11	मेघालय	0	35	0	35
12	ओडिशा	110	647	381	1138
13	पंजाब	1107	5390	5473	11970
14	राजस्थान	3514	19978	30317	53809
15	तमिलनाडु	988	199	1223	2410
16	त्रिपुरा	63	358	753	1174
17	उत्तर प्रदेश	2959	3883	4547	11389
18	उत्तराखंड	0	0	307	307
	कुल	24731	64001	81486	170218

*2019-20 के दौरान पंपों के सौरीकरण की सूचना नहीं दी गई है।

अनुलग्नक-II

“पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभार्थी” के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2716 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

30.11.2022 की स्थिति के अनुसार पीएम-कुसुम योजना के तहत जारी की गई राज्य-वार एवं वर्ष-वार निधियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.15	0.15
2	गुजरात	0	3.95	0	0	3.95
3	हरियाणा	0	51.33	161.12	38.46	250.91
4	हिमाचल प्रदेश	0	2.8	0	5.77	8.57
5	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	15.45	15.45
6	झारखंड	0	16.05	0	0	16.05
7	कर्नाटक	0	1.26	0	0	1.26
8	मध्य प्रदेश	71.07	0	0	0	71.07
9	महाराष्ट्र	0	0	9.6	151.76	161.36
10	मणिपुर	0	0.36	0	0	0.36
11	मेघालय	0	0.28	0	0	0.28
12	ओडिशा	0	0.77	0	0	0.77
13	पंजाब	0	8.28	23.7	27.99	59.97
14	राजस्थान	68.98	52.06	153.49	190.98	465.51
15	तमिलनाडु	11.21	0	20.3	0	31.51
16	त्रिपुरा	0	3.96	7.36	0	11.32
17	उत्तराखंड	0	0	0	3.31	3.31
18	उत्तर प्रदेश	0	15.34	13.73	35.79	64.86
19	अन्य	0	0	16.75	0	16.75
कुल		151.26	156.43	406.04	469.66	1183.39

“पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभार्थी” के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2716 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख और घटक-ग के तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के माध्यम से सौर क्षमता वृद्धि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर क्षमता वृद्धि (मेगावाट)
1	राजस्थान	333.0
2	हरियाणा	262.0
3	महाराष्ट्र	107.5
4	पंजाब	59.4
5	मध्य प्रदेश	29.3
6	झारखंड	23.4
7	उत्तर प्रदेश	32.3
8	तमिलनाडु	14.4
9	गुजरात	8.5
10	ओडिशा	4.0
11	हिमाचल प्रदेश	2.0
12	त्रिपुरा	2.0
13	जम्मू एवं कश्मीर	2.0
14	कर्नाटक	2.0
15	उत्तराखंड	1.9
16	केरल	0.2
17	मणिपुर	0.1
18	मेघालय	0.1
	कुल	884.1
